कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

सेन्ट्रल नर्सरी, केप्टन रूप सिंह स्टेडियम के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर

Phone : 0751-2341166, Fax : 0751-2341166, E-Mail : dfotgwa@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./22/14104 ग्वालियर दिनांक 25/11/2022

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
अ.उ.दा. निर्माण संभाग द्वितीय
म.प्र.पॉ.ट्रां.कं.लि. महलगांव, ग्वालियर

विषय–ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर में लीलो ऑफ 132 के.व्ही. महलगांव–ग्वालियर विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.861 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, ग्वालियर को उपयेाग पर देने बावत।

(Proposal No.-FP/MP/TRANS/145914/2021)

संदर्भ–1–भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल का पत्र कमांक/6–एम.पी.बी 014/2022–बी.एच.ओ. दिनांक 11.11.2022

2–प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र कमांक/एफ–4/12/2022/10–11/3825 दिनांक 16.11.2022

विषयांकित संदर्भित पत्रों के प्रकरण में लेख है कि ग्वालियर जिले के अन्तर्गत वनमण्डल ग्वालियर में लीलो ऑफ 132 के.व्ही. महलगांव–ग्वालियर विद्युत लाईन के निर्माण हेतु 3.861 हेक्टेयर वन भूमि कार्यपालन अभियंता, म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, ग्वालियर को उपयेाग पर देने हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र कमांक/6–एम.पी.बी 014/2022–बी.एच.ओ. दिनांक 11.11.2022 से (A) शर्त 01 लगायत 11 तक एवं (B) शर्त 01 लगायत 15 तक अधिरोपित शर्तो के आधार पर सैद्धांतिक स्वीकृति जारी की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में अधिरोपित शर्तो के आधार पर राशि जमा करना, वचन पत्र एवं पालन प्रतिवेदन आपके द्वारा प्रस्तुत किया जाना है। अधिरोपित शर्तो के अनुसार पालन प्रतिवेदन 03 प्रतियों में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, शर्तो का विवरण निम्नानुसार है :–

(B) Conditions which need to be strictly complied on field after handing over of forest land to the user agency by the State Forest Department but the compliance in form of undertaking shall be submitted prior to Stage-II approval:

1. उक्त शर्त के पालन में वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा, इस आशय का वचनपत्र प्रस्तुत करें।
2. उक्त शर्त के पालन में कैम्पा मद में दुगने बिगड़े वन कक्ष कमांक 110 रकवा 7.722 हेक्टेयर वन भूमि पर क्षतिपूर्ति वनीकरण की राशि रूपये **69,22,695/–(रूपये उन्हत्तर लाख बाइस हजार छः सौ पिन्च्यानवें मात्र)** e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करें। राशि जमा उपरान्त यू.टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. उक्त शर्त के पालन में ग्वालियर जिले की प्रभावित होने वाली वन भूमि 3.861 हेक्टेयर वन भूमि की 957780/–प्रति हेक्टेयर की दर से नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि **36,97,989/–रूपये (छत्तीस लाख सत्तानवे हजार नौ सौ नबासी मात्र)** e-portal (https://parivesh.nic.in/) के माध्यम से कैम्पा मद में जमा करना होगी, राशि जमा उपरान्त यू.टी.आर. नम्बर सहित अभिलेख इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यदि भविष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं इस कार्यालय द्वारा व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि की नेट प्रजेन्ट वेल्यू की राशि की अतिरिक्त मांग की जाती है तो आवेदक विभाग जमा करने के लिये वचनवद्ध है। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।

4. उक्त शर्त के पालन में व्यपवर्तित वन भूमि पर खड़े प्रभावित होने वाले वृक्षों में से केवल 30 प्रतिशत वृक्षों को काटा जावेगा। काटें गये वृक्षों के हानि की राशि जमा करने हेतु आवेदक संस्था वचनवद्ध है। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करे।
5. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि वन विभाग के परामर्श द्वारा ट्रांसमिशन लाईन हेतु निर्मित किये जाने वाले टावर के चारों ओर आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय से चेनलिंक फेसिंग से घेराव किया जायेगा। जिससे वन क्षेत्र में हाथी/वन्यप्राणियों की विद्युत से होने वाली हानि से बचाया जा सके।
6. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि वन क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईन वन संरक्षण अधिनियम, 1980, हैण्डबुक 2019 के अध्याय–10 के प्रावधान अनुसार डाली जावेगी।
7. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि वन विभाग के परामर्श द्वारा व्यपवर्तित होने वाली वन भूमि का आवेदक संस्था द्वारा स्वयं के व्यय पर सीमांकित किया जावेगा।
8. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित भूमि के रेखांकन (ले–आउट प्लान) में कोई बदलाव बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं किया जावेगा, इस आशय का वचन प्रस्तुत करें।
9. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा वन क्षेत्र में कोई मजदूरों कैम्प स्थापित नहीं किया जावेगा, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
10. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा मजदूरों को ईंधन के रूप में एल.पी.जी. उपलब्ध कराई जावे, ताकि वन क्षेत्र एवं आसपास की वन सम्पदा को किसी प्रकार को कोई नुकसान न हो। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
11. उक्त शर्त के पालन में इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें कि परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन हेतु वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन मार्ग का निर्माण नहीं किया जावेगा।
12. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग को उक्त भूमि लीज अवधि या परियोजना अवधि में से जो भी कम हो उसके लिये दी जावेगी, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
13. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगी, इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
14. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य विभाग को बिना भारत सरकार की अनुमति के नहीं दी जावेगी। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।
15. उक्त शर्त के पालन में आवेदक विभाग द्वारा, भारत सरकार द्वारा वनो के विकास व वन्यप्राणियों के संरक्षण हेतु शर्ते अधिरोपित की जाती है उनका समय–समय पर पालन करना अनिवार्य होगा। इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार अधिरोपित शर्तो के अनुसार राशि जमा करने के उपरान्त समस्त अधिरोपित शर्तो का एकजाई पालन प्रतिवेदन टेबूलर फार्म में तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। ताकि औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके। संदर्भित पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।
संलग्न–उपरोक्तानुसार

(ब्रिजेन्द्र श्रीवास्तव)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर

पृ0 क्रमांक/मा.चि./14105
प्रतिलिपि–
दिनांक 25/11/2022

1–अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल म0प्र0 की ओर आपके पत्र क्रमांक/एफ–4/12/2022/10–11/3825 दिनांक 16.11.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।
2–अपर प्रधान मुख्य वनसरंक्षक ग्वालियर वृत ग्वालियर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल ग्वालियर